## <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः — 40 / 14</u> संस्थापन दिनांकः—25 / 01 / 14 फाईलिंग नं. 233504003562014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

#### वि रू द्ध

- 1. चैनसिंह पिता भादया सिंह, उम्र 30 वर्ष
- 2. भादया सिंह पिता विक्रय सिंह, उम्र 48 वर्ष
- 3. शशीकला पति भादया सिंह, उम्र 45 वर्ष
- नीतू पित लखन सिंह, उम्र 27 वर्ष सभी निवासी उमिरया, थाना आमला जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

### <u>-: (नि र्ण य ) :-</u>

### (आज दिनांक 07.05.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498(ए) भा0दं०सं० एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने जून 2012 से लगातार दिनांक 30.12.2013 तक उमरिया थाना आमला जिला बैतूल स्थित अपने घर पर अभियोक्त्रि के पित एवं पित के नातेदार होते हुए दहेज में मोटर सायकिल की मांग कर कूरता कारित की एवं अभियोक्त्रि से दहेज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पांच लाख रूपये की मांग की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी राजेश्वरी ने दिनांक 30.12.2013 को थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि उसका विवाह अभियुक्त चैनिसंह से जाति रीति रिवाज से हुआ था। शादी के चार माह बाद से ही अभियुक्तगण उसे मायके से दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे और मारपीट करने लगे। अभियुक्तगण उसे मायके से पांच लाख रूपये लेकर आने की मांग करते थे। उसके द्वारा मना करने पर अभियुक्तगण उसे खाने पीने को नहीं देते थे और मारपीट कर उसे मानिसक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। अभियुक्तगण ने उससे उसका बच्चा छीनकर उसे घर से भगा दिया। फरियादी द्वारा दर्ज करवायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 518/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के

दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी से विवाह पत्रिका एवं दहेज सूची जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी एवं अभियुक्तगण की ओर से राजीनामा आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है परंतु अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे धारा 498(ए) भा0दं0सं0 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा अभिलेख पर अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य उपलब्ध न होने से अभियुक्तगण का धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।

#### 5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्तगण ने जून 2012 से लगातार दिनांक 30.12. 2013 तक उमिरया थाना आमला जिला बैतूल स्थित अपने घर पर अभियोक्त्रि के पित एवं पित के नातेदार होते हुए दहेज में मोटर सायिकल की मांग कर कूरता कारित की एवं अभियोक्त्रि से दहेज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पांच लाख रूपये की मांग की ?

# ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

राजेश्वरी (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि उसकी शादी दिनांक 12.02.2012 को जाति रीति रिवाज से उमरिया में हुई थी। विवाह से उसे एक संतान हिमांशु है। विवाह के बाद से ही उसका पित उसे शराब पीकर मारपीट करता था और परेशान करता था जिसकी शिकायत (प्रदर्श पी—1) उसने थाने में की थी जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि पुलिस ने उससे शादी की पत्रिका एवं दहेज सूची जप्त कर (प्रदर्श पी—2) का जप्ती पत्रक तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि विवाह के चार माह बाद से ही अभियुक्तगण उसे मायके से दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे और मारपीट करने लगे एवं मायके से पांच लाख रूपये लेकर आने की मांग करते थे तथा उसके द्वारा मना करने पर अभियुक्तगण उसे खाने पीने को नहीं देते थे

और मारपीट कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर उसे घर से भगा दिया था।

7 निर्मला (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि उसकी बेटी की शादी दिनांक 12.02.2012 को जाति रीति रिवाज से ग्राम उमरिया में हुई थी। विवाह के पश्चात से अभियुक्त उसकी लड़की को शराब पीकर मारपीट करता था और परेशान करता था जिसकी शिकायत उसकी लड़की ने की थी। इस साक्षी द्वारा भी अभियोजन का पूर्ण समर्थन न किये जाने पर साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

8 प्रतिपरीक्षण में साक्षी राजेश्वरी (अ.सा.—1) एवं निर्मला (अ.सा.—2) ने इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्तगण ने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की थी और न ही दहेज का कोई विवाद था। उपर्युक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी से दहेज में मोटर सायकिल एवं पांच लाख रूपये की मांग की जाना तथा उक्त मांग को लेकर फरियादी के साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से कूरता कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के साथ दहेज में मोटर सायकिल की मांग कर कूरता कारित की एवं अभियोक्ति से दहेज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पांच लाख रूपये की मांग की। निष्कर्षतः अभियुक्तगण चैनसिंह, भादया, शशीकला एवं नीतू को धारा 498—ए भाठदं०सं० एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनयम के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

9 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

10 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैत्ल (म.प्र.)